संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के सरकारी विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और नौ अनुच्छेद शामिल हैं।

अध्याय 1: प्रस्तावना

2023-24 के दौरान ₹ 2,73,305 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 2,71,841 करोड़ था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय 28 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,03,823 करोड़ से ₹ 1,33,172 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय 33 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,848 करोड़ से ₹ 1,13,196 करोड़ और पूंजीगत व्यय 10 प्रतिशत कम होकर ₹ 17,666 करोड़ से ₹ 15,921 करोड़ हो गया। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 82 से 93 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि पूंजीगत व्यय छः से 17 प्रतिशत के मध्य रहा।

(अनुच्छेद 1.3)

2023-24 के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत विभागों की 999 लेखापरीक्षित इकाइयों और धारा 14, 19(2), 19(3) एवं 20(1) के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की 38 लेखापरीक्षित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

(अनुच्छेद 1.4)

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" पर निष्पादन लेखापरीक्षा राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत (जीपी) स्तरों पर अभिलेखों/दस्तावेजों की नमूना-जांच के माध्यम से 2019-20 से 2023-24 की अवधि को शामिल करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या योजना प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियां अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार थी; रोज़गार के अवसरों तक उचित पहुंच सुनिश्चित की गई, साथ ही पर्याप्त रोज़गार सृजित किए गए, जिससे सामाजिक सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा प्राप्त हुई; अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करते हुए नियमों और विनियमों के अनुपालन में स्थायी और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और रखरखाव किया गया था; तथा अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करने के लिए उचित एवं पर्याप्त निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान थी और सही तरीके से कार्य कर रही थी।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- सभी क्षेत्रों में आवश्यकताओं और कमियों की पहचान करने के लिए विकास योजनाएं और जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। चयनित ग्राम पंचायतें केवल खंड

विकास एवं पंचायत अधिकारी को कार्यों की सूची प्रस्तुत कर रही थी। श्रम बजट में कार्यों को शामिल करने/शामिल न करने का कार्य ग्राम पंचायतों की भागीदारी के बिना ब्लॉक स्तर पर किया गया था जो उक्त दिशानिर्देशों में परिकल्पित नीचे से ऊपर की ओर सहभागी योजना प्रक्रिया का पालन न करना दर्शाता है। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना तैयार नहीं की गई थी। हालांकि चयनित जिलों में कुछ सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित की गई थी, फिर भी 43 प्रतिशत और 31 प्रतिशत लाभार्थी क्रमशः मजदूरी की पात्रता और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार के बारे में जागरूक नहीं थे।

- राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में विलंब के मामले सामने आए। 34 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 120 कार्यों से संबंधित 794 मस्टर रोल के लिए ₹ 2.69 करोड़ की मजदूरी का भुगतान एक से 552 दिनों के विलंब के साथ किया गया। पात्र परिवारों के पंजीकरण के संबंध में अपेक्षित अभिलेख जैसे आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर आदि, नमूना-जांच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में संधारित नहीं पाए गए।

- हिसार को छोड़कर चयनित जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान अनुमानित मानव दिवसों की प्राप्ति में 2.05 लाख से 21.07 लाख के मध्य की कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त, 100 दिन या उससे अधिक का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार केवल एक से तीन प्रतिशत थे, जबकि 68 से 79 प्रतिशत परिवारों को 50 दिनों से भी कम का रोजगार मिला।

- नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध सूचना प्रबंधन प्रणाली डेटा के विश्लेषण और मेवात जिले के चार ब्लॉकों की नौ ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 से 2022-23 की अवधि के लिए चयनित 22 चालू कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से परिसंपत्तियों का सृजन न होने, नगण्य श्रम घटक के साथ कार्यों के निष्पादन, मानव दिवस सृजित होने के बावजूद मजदूरी का भुगतान न करने और कार्यों के दस्तावेजीकरण में कमियों के मामले सामने आए हैं।

- राज्य रोजगार गारंटी परिषद के उच्च स्तर पर योजना की परिकल्पना के अनुसार निगरानी और संचालन निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था। सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया कार्यबल बहुत निराशाजनक था, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर 100 प्रतिशत रिक्तियां थी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाई गई अभ्युक्तियों के निपटान के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार, परिकल्पित निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र योजना के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं था।

सिफारिशें:

- *राज्य सरकार श्रम बजट तैयार करने में नीचे से ऊपर तक के दृष्टिकोण को अपनाना सुनिश्चित करे और ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड रजिस्टर, कार्य मांग रजिस्टर/मजदूरी भुगतान रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर आदि जैसे अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करे।*

- *राज्य सरकार दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य निष्पादन की निगरानी सुनिश्चित करे, ताकि समय पर मजदूरी का भुगतान, स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।*
- *राज्य सरकार सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों को गति प्रदान करना सुनिश्चित करे क्योंकि मनरेगा के एक मांग-आधारित कार्यक्रम होने के नाते, यह अपेक्षित है कि लाभार्थी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों।*
- *राज्य सरकार, जिला और ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त कार्यबल की तैनाती करके, वैधानिक सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया का प्रभावी तरीके से लाभ उठाकर, मनरेगा परिसंपत्तियों की पूर्णता के पश्चात मूल्यांकन को सुदृढ़ करना सुनिश्चित करे।*

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 3: हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली

'हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली' पर विषय विशिष्ट लेखापरीक्षा में 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान चयनित आठ जिलों में सीवरेज प्रबंधन गतिविधियों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या सीवरेज प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताओं के अनुरूप थी, सीवरेज के लिए कार्यों का निष्पादन मितव्ययी और कुशल था तथा निगरानी तंत्र पर्याप्त था। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले सीवेज और उपचार क्षमता के बीच महत्वपूर्ण अंतर का पता चला है। चयनित आठ जिलों में 1,522.83 एमएलडी घरेलू सीवेज उत्पन्न हुआ, जिसमें से जल निकायों में पुन: उपयोग या डिस्चार्ज से पहले केवल 51.03 प्रतिशत का ही डिस्चार्ज मानकों के अनुसार उपचार किया गया था। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और फरीदाबाद में उत्पन्न घरेलू सीवेज और उपचार क्षमता के बीच भारी अंतर पाया गया। इसके अतिरिक्त, संपर्क की समस्याओं के कारण पानीपत और सोनीपत जिलों में स्थापित उपचार क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। अपर्याप्त योजना, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और परियोजनाओं को पूर्ण करने में देरी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और अधिक प्रभावित किया।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- फरीदाबाद शहर में 282 एमएलडी उत्पन्न घरेलू सीवेज की तुलना में 97.5 एमएलडी (34.57 प्रतिशत) स्थापित सीवेज उपचार क्षमता है, जबकि 92 एमएलडी सीवेज ही सीवेज उपचार संयंत्र तक पहुंच रहा था, जिससे 190 एमएलडी का अंतर था। पांच सीवेज उपचार संयंत्रों में से चार सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानदंड को पूरा कर रहे थे। यह पाया गया था कि यमुना नदी में अपने मुख्य नाले (बुढ़िया नाला) के माध्यम से फरीदाबाद जिले के डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग स्तर 139 मिलीग्राम/लीटर (10 मिलीग्राम/लीटर के मानक के विरुद्ध) और औसत फिकल

कोलीफॉर्म स्तर 7,891 एमपीएन/100 मिलीलीटर (100 एमपीएन/मिलीलीटर के मानक के विरुद्ध) दर्ज (2024) किया गया था।

- नगर निगम, फरीदाबाद ने कनेक्टिंग सीवर लाइन के निर्माण के लिए समय पर वन मंज़ूरी प्राप्त करने की कार्रवाई नहीं की, जिससे फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्य के निष्पादन/पूर्ण होने में पांच वर्ष से अधिक का विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, इसी उद्देश्य के लिए मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में निर्मित दो एमपीएस (₹ 79.49 करोड़) और दो सीवेज उपचार संयंत्रों (₹ 196.55 करोड़) की अवसंरचना भी 2021 और 2024 से व्यर्थ पड़ी हैं।

- फरीदाबाद के शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर और दयालपुर में सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य जुलाई 2018 तक पूर्ण होना निर्धारित था, लेकिन अक्तूबर 2025 तक भी नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा सीवेज उपचार संयंत्र के लिए स्थान को अंतिम रूप से तय नहीं किए जाने के कारण इसे पूर्ण नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 16.35 करोड़ का व्यय होने के बावजूद सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

- गुरुग्राम में, मार्च 2024 तक गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले क्षेत्रों में 550 एमएलडी घरेलू सीवेज उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 90 एमएलडी का उपचार/पुनः उपयोग कॉलोनाइजरों द्वारा किया गया था। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के पास 460 एमएलडी की आवश्यकता की तुलना में 415 एमएलडी (12 सीवेज उपचार संयंत्रों में) की स्थापित सीवेज उपचार क्षमता थी। इन सीवेज उपचार संयंत्रों पर प्राप्त होने वाला औसत दैनिक सीवेज केवल 397 एमएलडी था, जिससे 63 एमएलडी (14 प्रतिशत) का अंतर था। गुरुग्राम जिले के 16 सीवेज उपचार संयंत्रों में से 12 सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज के मानकों को पूरा कर रहे थे।

- गुरुग्राम से निकलने वाला अपशिष्ट जल, इसके तीन मुख्य नालों के माध्यम से यमुना नदी में मिलता है, जिसमें औसत बीओडी का स्तर 88 से 106 मिलीग्राम/लीटर और फिकल कोलीफॉर्म का स्तर 1,816 से 3,310 एमपीएन/100 मिलीलीटर के बीच पाया गया, जो कि 10 मिलीग्राम/लीटर और 100 एमपीएन/मिलीलीटर के निर्धारित मानदंडों से बहुत अधिक था।

- गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा मानेसर में 25 एमएलडी क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण की निविदा प्रक्रिया के साथ-साथ उसे पूर्ण करने में चार वर्ष की देरी के कारण नाहरपुर-कासन और मानेसर शहर के अनुपचारित अपशिष्ट जल को लंबे समय तक नालों/खुले मैदान में बहाया गया, जिससे पर्यावरणीय चिंताएं पैदा हुई।

- मार्च 2020 में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जहाजगढ़ में 20 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण का उद्देश्य जुलाई 2025 तक प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि अपूर्ण सीवर अवसंरचना के कारण सीवेज उपचार संयंत्र तक केवल 5 एमएलडी सीवेज डिस्चार्ज ही पहुंच रहा था। गुरुग्राम

महानगर विकास प्राधिकरण और नगर निगम, गुरुग्राम के बीच समन्वय की कमी के कारण इस परियोजना को पूर्ण करने में देरी हुई।

- शहर के पार्कों में 21 माइक्रो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के अनुबंध में नगर निगम, गुरुग्राम के अपर्याप्त प्रबंधन के कारण परियोजना में अत्यधिक देरी हुई और बागवानी के लिए अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। ठेकेदार द्वारा मार्च 2021 की समय-सीमा चूक जाने के बावजूद, नगर निगम, गुरुग्राम ने तीन वर्ष से अधिक समय तक न तो अनुबंध को निरस्त किया और न ही कार्य को पुन: आवंटित किया। इसके परिणामस्वरूप, पांच वर्ष बाद भी, 12 सीवेज उपचार संयंत्र अपूर्ण पड़े हैं, जबकि पूर्ण हो चुकी अवसंरचना में अक्तूबर 2025 तक चोरी और परिचालन संबंधी लापरवाही पाई गई।

- सोनीपत में 78.42 एमएलडी उत्पन्न घरेलू सीवेज के लिए 85.3 एमएलडी क्षमता के सात सीवेज उपचार संयंत्र हैं, जबकि इन सीवेज उपचार संयंत्रों तक पहुंचने वाला वास्तविक सीवेज केवल 60.50 एमएलडी था। सात सीवेज उपचार संयंत्रों में से छ: सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानकों को पूरा कर रहे थे, सोनीपत जिले से दो मुख्य नालों (अर्थात ड्रेन नंबर 6 और ड्रेन नंबर 8) के माध्यम से यमुना नदी में होने वाले डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग (96 मिलीग्राम/लीटर एवं 18 मिलीग्राम/लीटर) और फिकल कोलीफॉर्म स्तर (3,233 एमपीएन/100 मिलीलीटर एवं 35,373 एमपीएन/100 मिलीलीटर) दर्ज किया गया, जो क्रमशः 10 मिलीग्राम/लीटर और 100 एमपीएन/मिलीलीटर के निर्धारित मानकों से बहुत अधिक था।

- काकरोई में 25 एमएलडी की स्थापित क्षमता वाला सीवेज उपचार संयंत्र, मास्टर सीवर लाइन बिछाने में कमियों और उसकी बहाली में देरी के कारण छ: वर्ष तक पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ड्रेन नंबर 6 में अनुपचारित सीवेज का बहाव लगातार जारी रहा।

- सोनीपत में ड्रेन नंबर 6 के पुनर्गठन का कार्य, सीवेज निपटान बिंदुओं को जोड़ने और खुले नाले में ठोस अपशिष्ट के निपटान को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, छ: वर्ष तक कार्य चलने और ₹ 36.63 करोड़ का व्यय होने के बावजूद पूर्ण नहीं किया जा सका (अक्तूबर 2025)।

- पानीपत के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले 101.84 एमएलडी घरेलू सीवेज के उपचार के लिए 168.80 एमएलडी क्षमता के 10 सीवेज उपचार संयंत्र थे। इन सीवेज उपचार संयंत्रों तक पहुंचने वाला वास्तविक घरेलू सीवेज केवल 75 एमएलडी था, शेष 26.84 एमएलडी सीवेज को उपचार के लिए जोड़ा नहीं गया था। दस में से नौ सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल डिस्चार्ज मानदंडों को पूरा कर रहे थे, ड्रेन नंबर 2 के माध्यम से यमुना नदी में गिरने वाले पानीपत जिले के डिस्चार्ज में औसत जैविक ऑक्सीजन मांग स्तर 85 मिलीग्राम/लीटर (10 मिलीग्राम/लीटर के मानदंड के विरुद्ध) और औसत फिकल कोलीफॉर्म स्तर 4,000 एमपीएन/100एमएल (100 एमपीएन/मिलीलीटर के मानदंडों के विरुद्ध) दर्ज किया गया (2024)।

- नगर निगम, पानीपत ने 76 कॉलोनियों के सीवेज डिस्चार्ज के उपचार के लिए 25 एमएलडी और 15 एमएलडी क्षमता के दो सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण करवाया, जिसके लिए अमृत योजना के तहत ₹ 202.44 करोड़ की लागत से सीवरेज अवसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था। ये सीवेज उपचार संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो रहे थे क्योंकि अंतिम उपयोगकर्ता कनेक्शन न होने के कारण मई 2024 तक सीवेज उपचार संयंत्र तक केवल 2.1 एमएलडी डिस्चार्ज ही पहुंच रहा था।
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अगस्त 2019 के निर्देशों में, उत्पन्न होने वाले सीवेज के 100 प्रतिशत उपचार का प्रावधान था, ऐसा न करने पर राज्य सरकार को 1 अप्रैल 2020 से नियमों का पालन न करने वाले विभागों से मुआवजा वसूल करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों में अनुपचारित घरेलू सीवेज की मात्रा 10.89 प्रतिशत से 67.38 प्रतिशत के मध्य थी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन उल्लंघनों का संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण नियमों का पालन न करने वाले विभागों/एजेंसियों से ₹ 902.97 करोड़ का लागू पर्यावरणीय मुआवजा वसूल नहीं किया जा सका।
- राज्य उपचारित अपशिष्ट जल के उद्देश्यपूर्ण पुन: उपयोग के लिए निर्धारित समय-सीमा को प्राप्त नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2019-2024 के दौरान चयनित आठ जिलों में 650 वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाइयों पर लगाए गए ₹ 264.76 करोड़ के पर्यावरणीय मुआवजे में से केवल 334 इकाइयों से ₹ 50.50 करोड़ ही एकत्र किए। गुरुग्राम (उत्तर), बल्लभगढ़ और सोनीपत में क्रमशः 92.52 प्रतिशत, 81.50 प्रतिशत और 78.83 प्रतिशत मुआवजा वसूली के लिए लंबित था।

सिफारिश

प्रभावी सीवेज और सीवरेज प्रबंधन प्राप्त करने के लिए, राज्य सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन और समय पर पूर्ण करने हेतु संबंधित विभागों के साथ समन्वय में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करे तथा भूमि/वन आदि के लिए समय पर स्वीकृति प्राप्त करे।

अध्याय 4: अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, मेवात (नूंह) के कार्यालय में काल्पनिक कर्मचारियों की फर्जी यूनिक आईडी बनाकर और सातवें वेतन आयोग के बकाया वेतन व छुट्टी नकदीकरण के नाम पर उनके बैंक खातों में राशि अंतरित करके ₹ 40.51 लाख का संदिग्ध गबन किया गया।

(अनुच्छेद 4.1)

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार/समिति ने बैंक गारंटी की शर्त में ढील दी, जिससे एजेंसी को बिना किसी वित्तीय परिणाम/हानि का सामना किए परियोजना से हटने का अवसर मिल गया। परिणामस्वरूप, अपूर्ण बायोगैस संयंत्र पर किया गया ₹ 5.60 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा, क्योंकि एजेंसी ने 90 प्रतिशत से अधिक करार राशि प्राप्त करने के बाद फरवरी 2020 से परियोजना को छोड़ दिया था।

(अनुच्छेद 4.2)

अनिवार्य शिपिंग और निरीक्षण दस्तावेजों की प्राप्ति के बिना ही साख-पत्र के माध्यम से ठेकेदार को भुगतान जारी करने के कारण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 6.37 करोड़ की हानि हुई। यह चूक साख-पत्र के दोषपूर्ण निबंधनों और शर्तों के कारण हुई। भुगतान प्राप्त करने के बाद ठेकेदार ने सामग्री की आपूर्ति नहीं की। इसके अतिरिक्त, वसूली के प्रयास अप्रभावी रहे।

(अनुच्छेद 4.3)

उच्चतर शिक्षा विभाग निदेशालय ने सरकारी कॉलेजों के लिए वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के दौरान निर्धारित नियमों/निर्देशों का उल्लंघन किया, इसके अतिरिक्त, उपकरणों/सेवाओं को स्थापित करने और उपयोग करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹ 8.72 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार ने पांच सरकारी कॉलेजों में स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों के लिए ₹ 17.43 करोड़ की राशि मापन योग्य परिणामों और मुख्य निष्पादन संकेतकों के विरुद्ध परिणामों का सत्यापन किए बिना ही जारी की। इसी प्रकार, ई-कर्मा परियोजना के तहत 4,649 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर खर्च किए गए ₹ 13.68 करोड़ व्यापक रूप से निष्फल रहे, क्योंकि उनमें से बहुत ही कम संख्या में अभ्यर्थी अपनी कमाई शुरू कर सके।

(अनुच्छेद 4.6)

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 41.67 करोड़ की पहली किस्त में से केवल ₹ 19.62 करोड़ का ही उपयोग कर सका, जिसके परिणामस्वरूप, शेष निधियों को राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा अन्य संस्थानों को पुनः आवंटित कर दिया गया। इसके कारण न केवल विश्वविद्यालय को भविष्य में मिलने वाले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुदानों से वंचित होना पड़ा, बल्कि सभी स्वीकृत परियोजनाएं भी अपूर्ण रह गई, जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों को उन्नत सुविधाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

(अनुच्छेद 4.7)

परिवहन विभाग के हरियाणा रोडवेज के छः डिपो ने उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसें चलाने के लिए लागू रियायती उपयोगकर्ता फीस की दरों का लाभ नहीं उठाया, जो पंजीकृत जिलों की सीमाओं के भीतर स्थित थे। इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता फीस पर ₹ 4.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 4.8)

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग के कार्यालय में फर्जी स्वीकृति पत्र तथा आधिकारिक लॉगिन सूचना के दुरुपयोग के माध्यम से अनधिकृत बजट आवंटन और निकासी द्वारा ₹ 57.46 करोड़ का संदिग्ध गबन पाया गया। कार्य आदेश या सहायक दस्तावेजों के बिना ही भुगतान कर दिए गए, जो कि निदेशालय कार्यालय (महानिदेशक, विकास एवं पंचायत), जिला विकास पंचायत अधिकारी, पलवल, खंड विकास पंचायत अधिकारी, हसनपुर और खजाना स्तरों पर नियंत्रण की गंभीर विफलता को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 4.9)